कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रा.खण्ड, लो.नि.वि., बदायूं

पत्रांक– /15 सी – 2015–2016 दिनांक :

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

बदायूं।

विषय – यू.पी. रोड साइड लैण्ड कंट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत श्री प्रबन्धक, एस्सार आयल एण्ड गैस लि० द्वारा गाटा संख्या– 210, ग्राम– मुड़िया, तह० बिसौली पुत्र/पत्नी श्री........ निवासी ग्राम/मुहल्ला मुड़िया जिला–बदायूं का मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग रा०मा०सं० – 43 मार्ग के कि.मी. 59.320 पर एस्सार फिलिंग स्टेशन के नव निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्रांक– 480 (3) / जे० आर० के० दिनांक – 19-03-15

उपरोक्त संदर्भित विषयगत प्राप्त मानचित्रों को सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं मुख्य अभियंता, बरेली की जांच आख्या के उपरान्त ही आपको निम्न प्रस्तरवार शर्तों के आधार पर निर्माण कराने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

1. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर की दूरी पर अस्थायी निर्माण हेतु एवं मार्ग के मध्यबिन्दु से दोनों तरफ 220.00 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये अन्यथा मानचित्र पर की गयी संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। मुख्य अभियन्ता(मु0–2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग लो0नि0वि0, लखनऊ के समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. मानचित्र में अंकित मापों एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाये।
3. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने–जाने के लिए पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण प्रस्तावक को अपने खर्चे पर करना होगा, जिसकी अनुमति अलग से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., बदायूं से प्राप्त करनी होगी।
4. शासनादेश अनुसार लाइसेंस फीस रू. 2.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू. 10.00 हजार कुल रू. 2.10 लाख (रूपया दो लाख दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., बदायूं के खाते में जमा की जा चुकी है।
5. भूस्वामित्व में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. फिलिंग स्टेशन की स्थापना के फलस्वरूप जनसुरक्षा एवं यातायात को किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए अन्यथा मानचित्र में की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
7. प्रश्नगत मार्ग के स्टेटस में परिवर्तन के फलस्वरूप जनसुविधाओं की वृद्धि हेतु लोक निर्माण विभाग को यदि भूमि को अधिग्रहण की आवश्यकता पडेगी, उस स्थिति में आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।
9. लो0नि0वि0, बाउण्ड्री एवं नाली के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस आशय की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।
10. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों तरफ 220 फिट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न कराया जाये।

अतः उपरोक्त शर्तों के आधार पर आवश्यक आज्ञा प्रदान करने के पश्चात एक सैट इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक – मानचित्र 2 प्रतियों मे।

विक्रय पत्र / खसरा खतौनी फोटो प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.बदायूं

पत्रांक– 2591 /15 सी – 2015–2016 दिनांक : 3-9-15

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता IV , प्रा.खण्ड, लो.नि.वि., बदायूं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अवर अभियंता (प्रा0) को सूचनार्थ एवं पंजिका रजिस्टर में अंकित करने हेतु मानचित्र सहित प्रेषित।

3/9/15

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.बदायूं

3/9/15

(Letter3-RMM) 425